प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स 115/23 दिनांक 11/5/2023

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धाराएं 7, 13 (1) (ए) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018)
(2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं – 193, 409 आई.पी.सी.
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 234 समय 6:00 P.M.
(2) अपराध के घटने का दिन **मंगलवार** दिनांक 09.05.2023 समय 07.25 पी.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक **04.05.2023** समय 06.00 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल :
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 325 किलोमीटर
(2) पता – पुराने हॉस्पीटल में संचालित चाईल्ड हैल्पलाईन नम्बर 1098 का कार्यालय क्षि चित्तौडगढ ।
..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
<u>परिवादी</u>
(1) नाम : श्री गोपाल चावला
(2) पिता का नाम : श्री देवी लाल चावला
(3) आयु : 37
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(6) व्यवसाय : –
(7) पता : निवासी मकान नम्बर 218–बी, सेक्टर नम्बर 05, गांधीनगर चित्तौडगढ ।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
श्री भोजराज सिंह पुत्र श्री दलपत सिंह राठौड जाति राजपुत उम्र 45 साल निवासी–ग्राम पदमपुरा पुलिस थाना देसुरी जिला पाली हाल निवासी–मकान न 19बी पार्श्वनाथ विहार बिलीया तीतरडी, पुलिस थाना सविना जिला उदयपुर हाल– निदेशक, श्री आसरा विकास संस्थान उदयपुर, शाखा चित्तौडगढ, चाईल्ड हैल्पलाईन नम्बर 1098 ।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विषिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	16000 रूपये	परिवादी श्री गोपाल चावला से

से उसके द्वारा चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098 मे किये गये कार्य के तीन माह 10/2022, 11/2022, 12/2022 की सेलेरी का चैक देने की ऐवज में माह अगस्त 2022 एवं 15 सितम्बर 2022 के 12000 रूपये की फर्जी हाजरी बताकर एवं 16 सितम्बर से 30 सितम्बर तक किये गये कार्य की सेलेरी 4000 रूपये सहीत 16000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना तथा सेलेरी प्राप्ति पर एडवांस हस्ताक्षर करवाकर अगस्त व सितम्बर माह की सेलेरी

परिवादी के अकाउण्ट मे डालकर दिनांक 09.05.2023 को 16000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करते हुये आरोपी श्री भोजराज सिंह को रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 16000 रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चितौडगढ (राज.) ।

विषय : – कानूनी कार्यवाही करवाने हेतु बाबत् ।

महोदयजी,

नम्र निवेदन है कि "मुझ प्रार्थी द्वारा चाईल्ड हैल्पलाईन 1098 में 15 सितम्बर 2022 से 30 अप्रेल 2023 द्वारा कार्य टीम सदस्य के रूप में किया । आज दिनांक 04.05.2023 तक मुझे सैलेरी का एक भी रूपया नही दिया गया तथा मुझसे रजिस्टर में हस्ताक्षर 01 अगस्त 2022 से करवा लिये तथा यह कहा गया कि आपकों कार्य करना है तो जैसा हम कहते है वैसा ही करना पडेगा और अब सैलेरी दे रहे है तो मुझ प्रार्थी से 02 महिने की सैलेरी 16000 रूपये मांग रहे है तब मेरी सैलेरी देने की बोल रहे है, मुझसे जो हस्ताक्षर अतिरिक्त करवाये वो 01 अगस्त 2022 से 15 सितम्बर 2022 तक के है उसका पैसा 12 हजार रूपये बनता है तथा वो मेरे 15 दिन, 15 सितम्बर से 30 सितम्बर का पैसा जो मैनें कार्य किया है उस 15 दिन के पैसें 04 हजार रूपये ट्रायल के नाम से मांग रहे है, कूल मिलाकर 12 हजार रूपये + 4000 ट्रायल के कुल राशि 16000 रूपये पहले वो मेरे बैंक खाते मे डालेगें और वो 16000 रूपये मैं निकलवाकर श्री आसरा विकास संस्थान की कर्मचारी हिमानी नन्दवाना को दूंगा तब वो मुझ प्रार्थी की सैलेरी मेरे बैंक खाते में जमा करेगें । यह रूपये की मांग श्री आसरा विकास संस्थान के निदेशक भोजराज सिंह पदमपुरा ने की है, श्री आसरा विकास संस्थान के निदेशक भोजराज सिंह पदमपुरा ने 16000 रूपये की मांग हिमानी नन्दवाना के मार्फत की है, भोजराज सिंह पदमपुरा द्वारा ही कहा गया है दो महिने की सैलेरी 16000 रूपये तुम निकलवाकर हिमानी नन्दवाना को दोगें और वो मुझे फोन कर बता देगी की 16000 रूपये दे दिये है तब आगे की 03 महिने की सैलेरी 24000 रूपये खाते में डालेगें । मैं भोजराज सिंह पदमपुरा एवं हिमानी नन्दवाना को मेरे वैध कार्य के लिये 16000 रूपये की रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं बल्कि उनको रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं मेरी इनसे कोई आपसी रंजिश नही है ना ही कोई उधार का कोई लेन–देन है तथा ना ही मुझे कोई राजकीय फीस कोई जुर्माना या ट्रेनिंग इत्यादि का पैसा जमा करना बकाया नही है । कृपया कानूनी कार्यवाही करावें । आसरा संस्थान को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार से फण्ड मिलता है" ।

दिनांक 04.05.2023

प्रार्थी
एस.डी./–
गोपाल चावला S/O देवीलाल चावला
पता : – 218– B, सेक्टर 5,
गांधीनगर चितौडगढ
Mob. 9252559204
9799959204

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 04.05.2023 को समय करीब 06.00 पी.एम. पर परिवादी श्री गोपाल चावला हस्तलिखित Report के साथ पेश हुआ तथा बताया कि वह 15 सितम्बर 2022 से श्री आसरा विकास संस्थान चित्तौडगढ में काम करता है वहां एक टीम है जो बालश्रम, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रताडना, सैक्सूएल हरेस्मेन्ट से बचाना, गुमशुदगी जैसे मामलों में काम करती है, टीम के सदस्य के रूप में करण जीणवाल, बाबूलाल मेघवाल, ललित माली, सुमित्रा शर्मा, गायत्री शर्मा और रूचिका शर्मा मेरे साथ काम करते है, एक अभय उपाध्याय नामक एक व्यक्ति ओर है जो कभी नही आता है लेकिन वेतन पाता है, टीम का लीडर भोजराज सिंह है, इस NGO का मुख्यालय उदयपुर मे है, मैनें इस संस्थान में 15 सितम्बर 2021 से कार्य आरम्भ किया जिसका वेतन (हर माह 8 हजार रूपये होता है) अभी तक नही मिला है । 30/04/2023 को मेरे को बोला कि आगे से काम पर मत आना क्योंकि चाईल्ड लाईन हैल्प 1098 सर्विस बन्द हो रही है यह भोजराज सिंह ने बोला था आज दिन में 11 बजे पुराना अस्पताल कलेक्ट्रेट चौराहा पर चाईल्ड लाईन के ऑफिस में चित्तौड के निदेशक भोजराज सिंह ने हमारी मिटींग ली, इसमें मैं भी था, मेरे को बोला कि अब आपको आगे से काम पर नही आना है दो महिने (अगस्त सितम्बर 22) की सैलेरी कल (5.5.23 को) तुम्हारे अकाउन्ट में जमा हो जायेगें । यह 16000 रूपये आप हिमानी (जो कैलाश सत्यार्थ फाउण्डेशन चित्तौड में काम करती है) को दे देना, उसके बाद 2–3 दिन में तेरे खाते (अक्टूबर से दिसम्बर 22) शेष वेतन डाल देगें, जनवरी से अप्रेल 2023 का वेतन जब आगे आयेगा तब देगें, इस पर मैनें बोला कि साहब सितम्बर के 15 दिन तो मैनें काम किया है मेरा ये वेतन तो मत रोका तो वह राजी नही हुए बोला कि पूरे 16000 रूपये तेरे खाते में डाल रहे है तु हिमानी को दे देना ।

इस एन.जी.ओ. को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है इन लोगो ने मेरे को नौकरी से भी निकाल दिया, मेरा सितम्बर का आधा माह का वेतन स्वयं खाना चाहता है और 1 अगस्त से 14 सितम्बर 22 का डेढ माह का फर्जी वेतन मेरे नाम पर उठाकर वो भी स्वयं खाना चाहते है, मेरी इनसे कोई रंजिश/उधारी नही है, मैं कार्यवाही कराना चाहता हू, इनको पकडवाना चाहता हूं । मामला पी.सी. एक्ट की परिधि में आता है अतः वैरिफिकेशन करवाना जरूरी है । इसके उपरान्त समय करीब 07.00 पी.एम. पर श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 नम्बर 514 चौकी चित्तौडगढ को परिवादी के साथ डिजिटल टेप रिकॉर्डर देकर समता नगर चित्तौडगढ जहां भोजराज सिंह के होने की खबर है जहां उनका ऑफिस है पूरी हिदायत देकर भेजा जा रहा है । तत्पश्चात् समय करीब 08.00 पी.एम. पर परिवादी और कानि0 श्री जितेन्द्र सिंह वापस एसीबी कार्यालय पहूंचे और बताया कि भोजराज सिंह उदयपुर चला गया है जिस पर डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को मालखानें में सुरक्षित रखवाकर परिवादी को कल दिनांक 05.05.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु आने का निर्देश देकर रूखसत किया ।

दिनांक 05.05.2023 को समय करीब 10.30 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया परिवादी ने उसके मोबाईल नम्बर 92525–59204 से आरोपी श्री भोजराज सिंह के मोबाईल नम्बर 98282–42855 पर वार्ता करवाई गई तो उक्त वार्ता मे आरोपी ने कहा कि तेरे को चेक नही ले जाना है क्या ? आरोपी कहता है कि भूपेन्द्र क्या कर लेगा ? तेरी कहीं ओर भी मैं नौकरी लगने नही दूंगा, वहां फोन करके बोल दूंगा, इसमें परिवादी सितम्बर के 15 दिन की सैलेरी की मांग करता है तो बोलता है कि फोन पर बात नही करेगे यहां आ जा, बैठकर बात करेगें । उक्त वार्ता को कार्यालय के टेप रिकॉर्डर में नियमानुसार रिकॉर्ड की गई थी । स्पष्ट है कि आरोपी उदयपुर नही गया है । समय करीब 10.47 ए.एम पर परिवादी को आवश्यक निर्देश देकर डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मय सरकारी के मय श्री श्यामलाल हैड कानि0 को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना परिवादी के साथ आरोपी के कार्यालय के लिये रवाना किया गया जिस पर समय करीब 11.30 ए.एम पर परिवादी एवं श्री श्याम लाल हैड कानि0 पुनः ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित आये और परिवादी ने टेप रिकॉर्डर कार्यालय में पेश किया । समय करीब 02.00 पी.एम. पर परिवादी और श्यामलाल हैड कानि0 कार्यालय में उपस्थित मिलें जिस पर परिवादी ने बताया कि उसकी आरोपी श्री भोजराज सिंह से समता नगर शिकारवाडी चित्तौडगढ उसके कार्यालय में मुलाकात हो गई थी, और उक्त वार्ता को मैनें कार्यालय के टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है, मेरे को जाते ही 16000 रूपये का चेक दे दिया और बोले की मुझे 16000 रूपये क्लीयर

करके हिमानी को दे देना और हिमानी भी मौके पर आ गई थी, उसने भी कहा कि 16000 रूपये देते ही तुम्हें 3 महिने की सैलेरी का चेक दे दूंगी, जिस पर उक्त रिकॉडेड वार्ता को सूना गया जिसमें मामला रिश्वत का पाया जाने से परिवादी को चेक राशि बैंक से लेकर ब्यूरो कार्यालय में जायें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें, परिवादी को गोपनियता की हिदायत देते हुए ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया ।

दिनांक 08.05.2023 को समय करीब 12.30 पी.एम. पर परिवादी श्री गोपाल चावला ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ में उपस्थित आया और बताया कि अभी तक चेक पास होकर मेरे खाते में नही आया है, परिवादी ने यह भी बताया कि वह भोजराज सिंह, कैलाश सत्यार्थ फाउन्डेशन नामक एन.जी.ओ. का भी डायरेक्टर है, उसमे वह मेरे को 10 रूपये प्रतिमाह की नौकरी देने की कह रहा है, प्रथमतः तो वह नौकरी देगा ही नही मेरे को झांसा दे रहा है, द्वितीय मैं यह नौकरी नही करना चाहता क्योंकि इसमें ट्यूर ज्यादा है, इसमे भी 02 माह की सैलेरी वह रखना चाहता है तथा इसमे टी.ए. भी नही है, कैलाश सत्यार्थ को प्राईवेट चंदा मिलता है इसमें लगे कर्मचारियों को रिर्कोडेड में 25 हजार रूपये हर महिने देना बताया जा रहा है जबकि वास्तव में 10 हजार ही दिये जाते है, चेक तो 25 हजार का देते है लेकिन कर्मचारी 15 हजार रूपये वापस देते है, चाईल्ड लाईन में 08 हजार हर माह है लेकिन स्टार्ट के महिने–02 महिने के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर यह सैलेरी उठज्ञ लेते है तथा 15 दिन की सैलेरी कर्मचारी के खुद के खाते की खा जाते है, सभी कर्मचारियों की जिले के विभिन्न स्थानों पर फर्जी हाजरियां बताकर फर्जी ट्यूर दिखाये जाते है जिनके आधार पर फर्जी टी.ए. बिल उठाये जाते है जो रूपये भी श्री भोजराज सिंह वापस ले लेता है, भोजराज सिंह संस्था का डायरेक्टर/संस्थापक है इसने इन्हीं संस्थानो से रूप्या बनाकर तितरडी उदयपुर में 80 लाख रूप्ये की कोठी तैयार की है, साथ ही परिवादी ने बताया कि अकाउन्ट का समस्त कार्य 31 मार्च 2023 तक श्री भूपेन्द्र सिंह गुर्जर (मोबाईल नम्बर 9694868456, 8290411532) करता था, अब भूपेन्द्र सिंह यहां से नौकरी छोडकर कोटा चाईल्ड लाईन में काम करता है, अब यहां अकाउन्ट का समस्त कार्य हिमानी द्वारा किया जाता है तथा हिमानी को इस रिश्वतखोरी का अच्छी तरह से ज्ञान है, परिवादी के साथ–साथ अन्य कर्मचारियों के साथ भी क्या इसी प्रकार का व्यवहार होता है यह ज्ञात करने के लिये सैम्पल के तौर पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से निम्न वार्ताएं करवाई गई : –

1. समय करीब 01.15 पी.एम. : – परिवादी के मोबाईल नम्बर 92525–59204 से उसकी सहकर्मी रूचिका शर्मा के मोबाईल नम्बर 89056–69030 पर वार्ता करवाई गई तो उक्त वार्ता को मोबाईल का स्पीकर ऑनकर ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में नियमानुसार रिकॉर्ड की गई तथा उक्त वार्ता से इन्ही तथ्यों की पुष्ठि होती है ।
2. समय करीब 01.27 पी.एम. पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 92525–59204 से उसकी सहकर्मी सुमित्रा से उसके मोबाईल नम्बर 94135–12155 पर वार्ता कराई तो उक्त वार्ता को मोबाईल का स्पीकर ऑनकर ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में नियमानुसार रिकॉर्ड किया गया । उक्त वार्ता में रूचिका से अगस्त 2022 का वेतन बतौर रिश्वत मांग जा रहा है तथा उसे अभी तक वेतन नही दिया । इसी प्रकार सुमित्रा नामक कर्मचारी को रिकॉर्ड में 14000 रूपये वेतन दिया जाकर वास्तव में 08 हजार रूपये ही दिया जा रहा है, एक टी.ए. बिल में राशि 69000 का सुमित्रा को पेमेन्ट दिया उसमें से 25000 रूपये तुरन्त वापस ले लिये शेष 34000 रूपये देने पर ही वेतन मिलेगा ।
3. समय करीब 06.20 पी.एम. पर परिवादी ने बताया कि हिमानी का फोन आ रहा है कुछ पूछ रही होगी, इस पर 06.26 पी.एम पर परिवादी के मोबाईल से हिमानी के मोबाईल नम्बर 82391–11877 पर वार्ता करवाई जिसमें "हिमानी ने कहा कि पेमेन्ट आ गया है चेक करें" जिस पर परिवादी ने अकाउन्ट चेक किया (फोन–पे) और पुनः 06.29 पी.एम पर हिमानी के फोन पर परिवादी के फोन से कॉल करवाया जिसमें उसने कल 16000 रूपये लेकर आने के लिये बोला है, उक्त वार्ता को मोबाईल के स्पीकर मोड पर करके ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया तथा परिवादी को नियत समय पर पेश होने की हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया ।
4. समय करीब 08.00 पी.एम पर हिमानी और परिवादी के मध्स अभी संध्याकाल में में हुई वार्ता में यह भी तथ्य आया कि किसी अभय नाम के व्यक्ति का बिल्कुल फर्जी वेतन उठाया जा रहा है, प्रकरण में कल दिनांक 09.05.2023 को अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

दिनांक 09.05.2023 को समय करीब 10.00 ए.एम पर श्री आसरा विकास संस्थान को गत वर्षो में मिली राजकीय फंड की जानकारी बाबत् संस्थान की ऑडिट रिपोर्ट से भी ज्ञात हो सकती है अतः विशेष सुत्र के वर्ष 2008–09 से 15–16 तक की ऑडिट रिपोर्ट मंगवाई गई यह ऑडिट रिपोर्ट बी.एल. पगारिया कम्पनी सी.ए. द्वारा तैयार की गई है, इनमें स्पष्ट है इनको राजकीय आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है इस सहायता का एक चार्ट तैयार करवाया । समय करीब 12.15 पी.एम पर परिवादी को आसरा विकास संस्थान से मिले 16000 के चेक की फोटोप्रति का अवलोकन करने पर पाया गया कि संस्था के संस्थापक के स्थान पर वही हस्ताक्षर है जो ऑडिट रिपोर्ट में फाउण्डर मेम्बर के स्थान पर है, अर्थात श्री भोजराज सिंह के हस्ताक्षर है । तत्पश्चात् समय करीब 12.30 पी.एम पर परिवादी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया और परिवादी ने बताया कि बैंक ऑफ बडौदा ए.टी.एम. से 16000 रूप्ये निकालकर ले आया हूं । अतः कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से जिला कलक्टर को जरिये पत्र से निवेदन कर श्री श्यामलाल हैड कानि0 को पत्र देकर रवाना किया गया परिवादी से उसके बैंक खातों की जानकारी ली गई । इसके उपरान्त समय करीब 01.30 पी.एम. पर गवाहान श्री ओमप्रकाश मेनारिया पुत्र श्री उदयलाल मेनारिया उम्र 42 साल जाति ब्राहम्ण निवासी राधा विहार, मधुवन सैंती जिला चित्तौडगढ हाल अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक शिक्षा) चित्तौडगढ व मोबाईल नम्बर 99293–14615 एवं श्री शम्भू लाल जाट पुत्र श्री छोगा लाल जाट उम्र 35 साल निवासी ग्राम देवडा पीपली, पुलिस थाना मण्डफिया जिला चित्तौडगढ हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक शिक्षा) चित्तौडगढ व मोबाईल नम्बर 97991–23861 ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित आये जिस पर उक्त दोनो का परिवादी से परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत एफ.आई.आर. को अवलोकन दोनो गवाहान को करवाकर उक्त दोनो के हस्ताक्षर एफ.आई.आर. पर करवाये थे । इसके पश्चात् समय करीब 01.50 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चालूकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 05.05.2023 को परिवादी श्री गोपाल चावला के मोबाईल नम्बर 9252559204 से आरोपी श्री भोजराज सिंह के मोबाईल नम्बर 9828242855 पर करवाई गई वार्ता एवं उक्त दिनांक को ही परिवादी श्री गोपाल चावला एवं आरोपी श्री भोजराज सिंह के मध्य आमने–सामने हुई वार्ता एवं दिनांक 08.05.2023 को परिवादी श्री गोपाल चावला के मोबाईल नम्बर 9252559204 एवं हिमानी के मोबाईल नम्बर 8239111877 पर हुई वार्ता को दोनो स्वतन्त्र गवाहान को सुनाई गई तो दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने रिश्वत राशि मांग की पुष्ठि की । इसके अतिरिक्त उक्त संस्थान में किये जा रहे भ्रष्टाचार की पुष्ठि हेतु सैम्पल के रूप में परिवादी श्री गोपाल चावला की सहकर्मी रूचिका शर्मा के मोबाईल नम्बर 8905669030 एवं सुमित्रा शर्मा के मोबाईल नम्बर 9413512155 पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9252559204 से पृथक–पृथक वार्ता जो कि ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड थी, को भी डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर चालूकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान को सुनाई गई तथा उक्त सम्पूर्ण वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी ।

तत्पश्चात् समय करीब 02.50 पी.एम. पर इस समय डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर से लेपटॉप में सेव की जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 05.05.2023 को परिवादी श्री गोपाल चावला के मोबाईल नम्बर 9252559204 से आरोपी श्री भोजराज सिंह के मोबाईल नम्बर 9828242855 पर हुई वार्ता को शब्द–ब–शब्द सुनी जाकर उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री मान सिंह कानि0 से परिवादी, दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष तैयार करवाई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । उक्त वार्ता में परिवादी श्री गोपाल चावला ने बताया था कि उक्त वार्ता में एक आवाज मेरी स्वयं की है तथा दूसरी आवाज श्री भोजराज सिंह की है । इसके उपरान्त समय करीब 03.00 पी.एम. पर डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर से लेपटॉप में सेव की जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 05.05.2023 को परिवादी श्री गोपाल चावला एवं आरोपी श्री भोजराज सिंह के मध्य आमने–सामने हुई वार्ता को शब्द–ब–शब्द सुनी जाकर उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री मान सिंह कानि0 से परिवादी, दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष तैयार करवाई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । उक्त वार्ता में परिवादी श्री गोपाल चावला ने बताया था कि उक्त वार्ता में एक आवाज मेरी स्वयं की है तथा दूसरी आवाज श्री भोजराज

सिंह की है । इसके उपरान्त समय करीब 03.45 पी.एम. पर इस समय श्रीमती प्रमिला धाकड महिला कानि0 नम्बर 261, रिजर्व पुलिस लाईन चित्तौडगढ से पूर्व से तलबी शुदा कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ पर उपस्थित आई जिसे ब्यूरो कार्यालय में बैठाया गया । इसके उपरान्त समय करीब 03.50 पी.एम. पर डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर से लेपटॉप में सेव की जाकर दिनांक 08.05.2023 को श्री आसरा विकास संस्थान में किये जा रहे भ्रष्टाचार की पुष्ठि हेतु सैम्पल के रूप में परिवादी श्री गोपाल चावला की सहकर्मी रूचिका शर्मा के मोबाईल नम्बर 8905669030 पर परिवादी श्री गोपाल चावला के मोबाईल नम्बर 9252559204 से करवाई गई वार्ता को शब्द–ब–शब्द सुनी जाकर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री मान सिंह कानि0 से परिवादी, दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष तैयार करवाई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । उक्त वार्ता में परिवादी श्री गोपाल चावला ने बताया था कि उक्त वार्ता में एक आवाज मेरी स्वयं की है तथा दूसरी आवाज रूचिका की है । इसके उपरान्त समय करीब 04.10 पी.एम. पर डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर से लेपटॉप में सेव की जाकर दिनांक 08.05.2023 को श्री आसरा विकास संस्थान में किये जा रहे भ्रष्टाचार की पुष्ठि हेतु सैम्पल के रूप में परिवादी श्री गोपाल चावला की सहकर्मी सुमित्रा शर्मा के मोबाईल नम्बर 9413512155 पर परिवादी श्री गोपाल चावला के मोबाईल नम्बर 9252559204 से करवाई गई वार्ता को शब्द–ब–शब्द सुनी जाकर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिहं कानि0 514 से परिवादी, दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष तैयार करवाई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । उक्त वार्ता में परिवादी श्री गोपाल चावला ने बताया था कि उक्त वार्ता में एक आवाज मेरी स्वयं की है तथा दूसरी आवाज सुमित्रा शर्मा की है । इसके उपरान्त समय करीब 04.40 पी.एम. पर डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर से लेपटॉप में सेव की जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 08.05.2023 को परिवादी श्री गोपाल चावला के मोबाईल नम्बर 9252559204 एवं हिमानी के मोबाईल नम्बर 8239111877 पर हुई वार्ता को शब्द–ब–शब्द सुनी जाकर उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री मान सिंह कानि0 से परिवादी, दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष तैयार करवाई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । उक्त वार्ता में परिवादी श्री गोपाल चावला ने बताया था कि उक्त वार्ता में एक आवाज मेरी स्वयं की है तथा दूसरी आवाज हिमानी की है ।

इसके उपरान्त समय करीब 05.30 पी.एम. पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू द्वारा परिवादी श्री गोपाल चावला को दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष संदिग्ध हिमानी कर्मचारी, कैलाश सत्यार्थ फाउंडेशन चित्तौडगढ, श्री आसरा विकास संस्थान, चाईल्ड हैल्पलाईन नम्बर 1098 को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 32 नोट कुल 16000 हजार रूपये के करेन्सी नोट पेश किये । उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है : –

1.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8 FW 839668
2.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1 GE 857922
3.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2 HT 208581
4.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8 PW 090136
5.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4 HH 673782
6.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6 BS 132828
7.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6 BQ 358738
8.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5 DF 454392
9.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	6 QD 647380
10.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2 CR 843611
11.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4 AU 965168
12.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0 DE 098629
13.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0 EV 686147

14.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	4 TC 772785
15.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3 NV 463183
16.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5 RD 215429
17.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5 DP 064584
18.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5 DA 780331
19.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0 BA 911171
20.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9 VL 205691
21.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2 TP 795717
22.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	8 BP 241183
23.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1 KQ 995773
24.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	3 HD 589241
25.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9 BV 785401
26.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	2 RQ 874855
27.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	0 DR 785744
28.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	1 CP 236996
29.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	7 FG 355221
30.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9 QM 730097
31.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	5 TQ 512688
32.	एक नोट 500/– रूपये का नम्बरी	9 HL 170609

परिवादी द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्री खालिद हुसैन कानि0 नम्बर 363 से ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से फिनोलफथलीन पाउडर की शीशी को मंगवाई जाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोल्फथ्लीन पाउडर लगवाया जाकर नोटों को परिवादी श्री गोपाल चावला के द्वारा पहनी हुई पेन्ट के दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये । इसके अतिरिक्त परिवादी के पास अन्य कोई शैः नही छोडी गई । श्रीमती आशा महिला कानि0 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में श्री खालिद हुसैन कानि0 नम्बर 363 की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया । इस प्रकार परिवादी तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि संदिग्ध द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री खालिद हुसैन कानि0 नम्बर 363 से बाहर फिंकवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी पुनः सुरक्षित मालखाने मे रखवाई गई तथा उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए । यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर हाथ फैरकर गोपनीय निर्धारित ईशारा करे। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया । श्रीमती आशा महिला कानि0 से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया । तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी

हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी को डिजीटल टेप रिकार्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन–देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को टेप करें। परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये । उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । श्री खालिद हुसैन कानि0 नम्बर 363 को बाद हिदायत ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई तथा उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामील कार्यवाही की गई ।

तत्पश्चात् समय करीब 07:06 पी.एम. पर परिवादी श्री गोपाल चावला के मोबाईल नम्बर 9252559204 से हिमानी के मोबाईल नम्बर 8239111877 पर कॉल करवाया गया तो घण्टी जाने की आवाज आई परन्तु हिमानी द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया । तदोपरान्त समय करीब 07:09 पी.एम. पर परिवादी श्री गोपाल चावला के मोबाईल नम्बर 9252559204 पर हिमानी के मोबाईल 8239111877 से कॉल आया जिसे परिवादी ने रिसीव कर अपने मोबाईल का लाउड स्पीकर ऑन कर वार्ता की उक्त वार्ता को सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्ड किया गया। हिमानी ने परिवादी को बताया कि मै कहीं बाहर निकल गई हुं, मैने तुम्हारा चैक भोजराज सिंह जी को दे दिया है, तुम उनको रूपये देकर तुम्हारा चैक ले लेना । इसके उपरान्त समय करीब 07:11 पीएम पर परिवादी श्री गोपाल चावला के मोबाईल नम्बर 9252559204 से हिमानी के मोबाईल 8239111877 पर कॉल किया एवं परिवादी द्वारा अपने मोबाईल का लाउड स्पीकर ऑन कर वार्ता की, उक्त वार्ता को सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्ड किया गया। हिमानी ने परिवादी द्वारा पुछने पर बताया कि भोजराज सिंह जी चाईल्ड लाईन ऑफिस पहुंच रहे है तुम वहीं चले जाना। इसके पश्चात् समय करीब 7:15 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू द्वारा परिवादी श्री गोपाल चावला को सरकारी डिजीटल वॉईस टेप रिकार्डर में रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता को रिकार्ड करने की आवश्यक हिदायत देकर आरोपी श्री भोजराज सिंह को रिश्वत राशि देने हेतु पेदल–पेदल ही पुराने हॉस्पीटल स्थित चाईल्ड लाईन 1098 के कार्यालय के लिये आगे–आगे रवाना कर उसके पीछे–पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाह, ट्रेप पार्टी सदस्य श्री दयालाल चौहान पुलिस निरीक्षक, श्री श्याम लाल हैड कानि0, श्री दलपत सिंह हैड कानि0, श्री ओमप्रकाश शर्मा हैड कानि0, श्री जितेन्द्र सिंह कानि, श्री सुरजमल कानि0, श्रीमती आशा कुमारी महिला कानि0 एवं श्री मान सिंह कानि0, श्रीमती प्रमिला महिला कानि0 श्री जयराम कानि0 चालक नम्बर 533 श्री शेर सिंह कानि0 चालक नम्बर 296 जरिये सरकारी वाहन टवेरा व बोलेरो से मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर के एसीबी कार्यालय से चाईल्ड लाईन ऑफिस की तरफ रवाना हुआ।

तत्पश्चात् समय करीब 7:20 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के जरिये सरकारी वाहन पुराने हॉस्पीटल के बाहर पहुंच सरकारी वाहनो को साईड में खडा करवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के सरकारी वाहन से नीचे उतरकर चाईल्ड लाईन 1098 के कार्यालय के आस–पास खडे होकर अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुये परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे का इंतजार करने लगे जिस पर समय करीब 07.25 पीएम पर परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर पूर्व निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनो स्वतंत्र गवाह व ट्रेप पार्टी सदस्यों का ईशारा कर चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 के कार्यालय में प्रवेश किया जहां पर चैनल गेट के पास परिवादी उपस्थित मिला, परिवादी ने डिजीटल टेप रिकार्डर पेश किया जिसे बंद कर, परिवादी आगे–आगे चलकर चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 ऑफिस के अन्दर प्रवेश कर कमरे में बैठे हुये एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यहीं भोजराज सिंह जी है, जिन्होने अभी–अभी अपनी मांग अनुसार रिश्वत राशि 16000 रूपये लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखे ळें जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना व ट्रेप पार्टी का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति से अपना नाम पता पूछा तो कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम भोजराज सिंह पुत्र श्री दलपत सिंह राठौड जाति राजपुत उम्र 45 साल निवासी–ग्रम पदमपुरा पुलिस थाना देसुरी जिला पाली हाल निवासी–मकान न 19बी पार्श्वनाथ विहार बिलीया तीतरडी, पुलिस थाना सविना जिला उदयपुर हाल– निदेशक, श्री आसरा विकास संस्थान उदयपुर, शाखा चित्तौडगढ, चाईल्ड

हैल्पलाईन नम्बर 1098 होना बताया। जिस पर आरोपी श्री भोजराज से पूछा कि आपने परिवादी श्री गोपाल चावला से अभी–अभी 16000 रूपये किस बात के लिये है। जिस पर आरोपी श्री भोजराज सिंह घबरा गया जिसे तसल्ली देकर पुनः आरोपी श्री भोजराज सिंह से 16000 रूपये परिवादी से लेने के बारे में पुछा तो उसने बताया कि साहब मेरे से गलती हो गई जबकि सही बात तो यह है कि वास्तव में श्री गोपाल चावला ने 15 सितम्बर 2022 से चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 में ड्यूटी जॉईन की है परन्तु मैने इससे 01/08/2022 से इसकी कार्यालय में उपस्थिति बताकर दो महिने की सेलेरी इसके अकाउण्ट में डाल दी तथा इसको कहा कि इस दो महिने की सेलेरी सोलह हजार रूपये तेरे अकाउण्ट से निकाल कर हिमानी को दे देना तब मेरे द्वारा उसको तेरी माह 10/22, 11/22, 12/22 की सेलेरी 24000 रूपये का चैक दे दिया है वो चैक हिमानी तेरे को दे देगी परन्तु हिमानी के चले जाने पर मेरे द्वारा गोपाल चावला से 16000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखे है जो अभी भी वहीं पडे है। इस पर श्री भोजराज सिंह को डेढ महिने की सेलेरी गलत उठाकर राजकोष को हानि पंहुचाने एवं परिवादी श्री गोपाल चावला की सितम्बर महिने की 15 दिन की वैध सेलेरी को हडपने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आप सही कर रहे है मेने गोपाल चावला की डेढ महिने के फर्जी हाजरी भरकर तथा इनको 15 दिन का ट्रेनिंग का पैसा बताकर झांसा देकर 16000 रूपये की अवेध राशि फर्जी तरीके से बिल बनाकर कार्मिको को भय व दबाव में लेकर उनसे रूपये रिश्वत के रूप में प्राप्त कर राजकोष को हानि पहुंचाई है तथा कार्मिको का वैध आय का पैसा हडपकर उनको आर्थिक हानि पहुंचाई है जिसके लिये मै पूर्णतया जिम्मेदार हुं ये बात मै स्वीकार करता हु। परिवादी ने भी पूछने पर आरोपी द्वारा बताई गई उक्त बात की ताईद की एवं बताया कि मेरे सभी सहकर्मीयो के साथ इनके द्वारा यहीं गलत प्रकिया अपनाई जाकर हमे एंव राजकोष को हानि पहुंचाई जाती रहीं है तथा इनके द्वारा हमारी फर्जी यात्राओं में भी रवानगीयां दिखाई जाकर फर्जी टीए की राशि कार्मिक के खाते में डलवाकर उनको दबाव में लेकर पैसा हडप कर राज्य सरकार को चुना लगाया जाता है, आज अभी कुछ देर पहले मैने इनकी मांग अनुसार पाउडर लगे हुये नोट इनको दिये जो इन्होने अपने हाथों में लेकर गिनकर अपनी पहनीं हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखी ली है तथा मेरी तीन माह की सेलेरी का 24000 रूपये का चैक मुझे दे दिया है जो मेरे पास है। इस पर परिवादी से चैक प्राप्त कर उसका अवलोकन किया गया तो पाया कि उक्त चैक आज की दिनांक 09.05.2023 का होकर परिवादी श्री गोपाल चावला के नाम होकर राशि तादादी 24000 रूपयों का है, चैक केनरा बैंक शाखा सुभाष नगर उदयपुर का है, चैक संख्या 272814 है चैक के उपर श्री आसरा विकास संस्थान की सील मोहर लगी हुई है जिस पर संस्थापक के रूप में श्री भोजराज सिंह के हस्ताक्षर किये हुये है तथा सचिव के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त चैक की फोटो कॉपी करवाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा मूल चैक परिवादी को सुपुर्द किया गया। आरोपी श्री भोजराज सिंह निदेशक चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098 द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करना स्वीकार करने से नियमानुसार आरोपी श्री भोजराज सिंह के हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिस पर दो साफ कॉच की गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे हाजरीन द्वारा रंगहीन होना स्वीकार करने पर एक कॉच की गिलास के घोल में आरोपी श्री भोजराज सिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे उपस्थितिन ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। इस हल्का गुलाबी घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिलचिट बन्द करा मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर आरोपी, दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये । इसी प्रकार आरोपी श्री भोजराज सिंह के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को दूसरे कांच के गिलास के रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ जिसे उपस्थितिन ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। इस हल्का गुलाबी घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिलचिट बन्द करा मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर आरोपी, दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। इसके बाद आरोपी श्री भोजराज सिंह की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब की तलाशी गवाह श्री ओम प्रकाश मेनारिया से लिवाई गई तो 500–500 रूपये के नोट निकालकर पेश किये जिनको दोनो स्वतन्त्र गवाहान से गिनकर पूर्व में

तैयार की गई फर्द सुपुर्दगी नोट से मिलान करने की कहने पर उक्त दोनो स्वतन्त्र ने उक्त नोटो को गिनकर 500–500 रूपये के 32 नोट होना बताया तथा नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहू होना बताया। जिस पर उक्त रिश्वत राशि 16000 रूपये को एक सफेद कागज मे सिलचिट कर आरोपी, दोनो गवाहान, परिवादी एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा सिलचिट कर कब्जे ब्यूरो लिये गये तथा बरामद शुदा नोटों के नम्बरों को फर्द में अंकित किये ।

इसके उपरान्त आरोपी श्री भोजराज सिंह निदेशक की गवाह श्री शम्भुलाल जाट से जामा तलाशी लिवाई गई तो उसकी पहनी हुई पेन्ट की बांई जेब से एक मोबाईल वीवो कम्पनी का एवं एक चौपहिया वाहन की चाबी मिली एवं 500, 200, 100, 50, 20 के नोट निकाल कर पेश किये जिनको दोनो गवाहन से गिनने की कहने पर दोनो गवाहन ने नोटो को गिनकर बतया कि 500–500 रूपये के 70 नोट एवं 200–200 रूपये के 05 नोट, एवं 100–100 रूपये के 03 नोट एवं 50 रूपये का 01 नोट एवं 20 रूपये का 01 नोट कुल 36370 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के बारे में आरोपी श्री भोजराज सिंह से पुछा तों उसने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। इस पर उक्त 36370 रूपये की राशि को संदिग्ध मानते हुवें एक कागज के खाकी लिफाफे में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर कपडे की थैली पर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा इसके उपरान्त आरोपी श्री भोजराज सिंह निदेशक, श्री आसरा विकास संस्थान उदयपुर, शाखा चित्तौडगढ के पास उपलब्ध मोबाईल फोन को चेक किया गया तो श्री भोजराज सिंह निदेशक, के पास एक वीवों कम्पनी का मॉडल नम्बर 1935 मोबाईल फोन जिसमे दो सिम लगी हुई है जिनमे से एक सिम जिओं कम्पनी की जिसके मोबाईल नम्बर 8209782984 है तथा दुसरी सीम वी. कम्पनी की जिसके मोबाईल नम्बर 9828242855 होकर उक्त मोबाईल फोन के आई.एम.ई.आई नम्बर 861556046800339 तथा 861556046800321 है । रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान जरिये मोबाईल फोन परिवादी श्री गोपाल चावला से हुई बातचीत मे आरोपी श्री भोजराज सिंह निदेशक, श्री आसरा विकास संस्थान उदयपुर, शाखा चित्तौडगढ द्वारा उपरोक्त मोबाईल फोन का उपयोग किया जाने से आरोपी श्री भोजराज सिंह निदेशक के उक्त मोबाईल फोन को एक सफेद कागज में लपेटकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त मोंबाईल फोन बरंग बैंगनी को एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट करवाकर उक्त सफेद की थैली पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया । इसके उपरान्त चौपहीया वाहन की चाबी के बारे में श्री भोजराज सिंह से पुछा तो उसने पुछा तो बताया कि ये मेर स्वयं की स्वीफ्ट गाडी नंबर की चाबी है जो बाहर खडी है। इसके अलावा आरोपी की जामा तलाशी में कोई अन्य राशि एवं संदिग्ध वस्तु नही मिली ।

इसके उपरान्त पुनः एक साफ कॉच की गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उस कॉच की गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री भोजराज सिंह, निदेशक की पहनी हुई की पेन्ट को सम्मानजनक तरीके से उतरवाई जाकर एक अन्य पेन्ट की व्यवस्था करवाकर पहनाया गया तथा आरोपी श्री भोजराज सिंह, निदेशक की उतरवाई गई पेन्ट की दाहिनी जेब, जिसमें रिश्वत राशि 16000 रूपये बरामद हुई थी, को उलटवाकर उक्त रंगहीन घोल मे डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हल्का गुलाबी झाई देता हुआ हो गया जिसे उपस्थितिन ने भी मटमैला हल्का गुलाबी झाई देता हुआ होना स्वीकार किया। उक्त मटमैला हल्का गुलाबी झाई देता हुये घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिलचिट बन्द करा मार्क पी.–1 व पी.–2 अंकित करा चिट व कपड़े पर आरोपी, दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शिशियों को कब्जे ब्यूरो लिया गया ।

इसके उपरान्त आरोपी श्री भोजराज सिंह, निदेशक के द्वारा वक्त ट्रेप पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब को सुखाकर उसकी अन्दरूनी साईड पर आरोपी, दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाने के उपरान्त उक्त पेन्ट बरंग काली को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सिलचिट कर कपडे की थैली पर आरोपी, दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया ।

इसके उपरान्त आरोपी श्री भोजराज सिंह, निदेशक को परिवादी श्री गोपाल चावला की सेलेरी से संबंधित समस्त दस्तावेज एवं उपस्थिति पंजिका एवं संबंधित पत्रावलीयों के संबंध मे पुछा तो उसने बताया कि कुछ रजिस्टर इत्यादी अलमारी में पडे है। जिसकी चाबी सुश्री हिमानी के पास

है तथा कार्मिको के सेलेरी एवं टीए से संबंधित बिल पत्रावलीयां एवं अन्य दस्तावेज इत्यादी मेरे श्री आसरा विकास संस्थान उदयपुर के कार्यालय में पडे है। श्री भोजराज सिंह ने बताया कि सुश्री हिमानी मेरे श्री कैलाश सत्यार्थी सस्थान चित्तौडगढ मे लगी हुई है तथा वह चाईल्ड हेल्प लाईन के कार्मिको के वेतन एवं टीए से संबंधित ज्यादातर कार्य वही करती है। इस पर सुश्री हिमानी को तलब किया गया तो सुश्री हिमानी दौराने कार्यवाही मौके पर उपस्थित हुई जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमरायान का परिचय देकर उससे उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम सुश्री हिमानी नन्दवाना पुत्री श्री तरूण नन्दवाना उम्र 24 साल जाति ब्राहम्ण निवासी मकान नम्बर 30 हार.के. कॉलोनी, जिंक नगर के सामने चित्तौडगढ हाल प्रोग्राम ऑफिसर, एक्सस टू जस्टिस फोर चिल्ड्रन चित्तौडगढ (एंजियों) मोबाईल नम्बर 8239111877 होना बताया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनो स्वतंत्र गवाहन एवं श्रीमति आशा कुमारी एवं श्रीमती प्रमिला महिला कानि0 की उपस्थिति में सुश्री हिमानी से पूछा कि चाईल्ड हैल्पलाईन नम्बर 1098 चित्तोडगढ के क्या कार्मिक श्री गोपाल चावला के बिना ड्यूटी दिये ही उसकी फर्जी हाजरी दर्शाकर सेलेरी बना राजकोष को हानि पहुचाना एवं परिवादी द्वारा किये गये 15 दिन का वैध वेतन भी परिवादी से मांगना तथा उससे दो माह का कुल वेतन 16000 रूपये परिवादी के देने उपरान्त ही उसे उसकी तीन माह की सेलेरी का चैक दिया जाने का कार्य आप द्वारा किया जा रहा है। इस पर सुश्री हिमानी हडबडा गई तथा आरोप से अनभिज्ञता जाहिर करते हुये जवाब देने में आनाकानी करने लगी। जिस पर सुश्री हिमानी को तसल्ली दी जाकर सारे तथ्यों जो कि चाईल्ड हैल्पलाईन नम्बर 1098 में किये जा रहे इस तरह के गोरख धंधे एवं सरकार को चुना लगाकर अवेध राशि कार्मिको से हडपे जाने के बारे में पुछा तो बताया कि मै तो एक कर्मचारी हुं इसमें मेरा कोई लेना–देना नहीं है उक्त सभी कार्य हमारे संस्थानों के निदेशक श्री भोजराज सिंह पदमपुरा के कहने से किया जाता है तथा उक्त सारी अवेध राशि भी वो ही लेते है इस कार्य के बदले मुझे कुछ भी नहीं दिया जाता है ।

इसके उपरान्त समय 08:30 पीएम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहन के समक्ष श्री भोजराज सिंह पुत्र श्री दलपत सिंह राठौड जाति राजपुत उम्र 45 साल निवासी–ग्रम पदमपुरा पुलिस थाना देसुरी जिला पाली हाल निवासी–मकान न 19बी पार्श्वनाथ विहार बिलीया तीतरडी, पुलिस थाना सविना जिला उदयपुर हाल– निदेशक, श्री आसरा विकास संस्थान उदयपुर, शाखा चित्तौडगढ, चाईल्ड हैल्पलाईन नम्बर 1098 मोबाईल नंबर 9828242855 को 16000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर ग्रहण करने पर जुर्म धारा 7, 13 (1) (ए) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 193, 409 भा0द0स0 का अपराध किया जाने से अपने किये गये जुर्म से आगाह किया जाकर हस्बकायदा गिरफतार किया गया एवं जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री ओमप्रकाश मेनारिया से लिवाई गई तो अलावा पर्चा पोशुदगी के कोई वस्तु नहीं मिली ना ही कोई वस्तु दस्तयाब हुई, ना ही कोई वस्तु कब्जे ब्यूरो ली गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । तत्पश्चात् समय करीब 09:15 पीएम. पर सुश्री हिमानी से कार्यालय की अलमारी को खुलवाया जाकर उसमे से चाईल्ड हेल्पलाईन से संबंधित रिकार्ड पेश करने हेतु कहा गया जिस पर उसने परिवादी सें संबंधित रिकार्ड पेश किया गया। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहो की उपस्थिति में रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि 01 बाल विवाह रजिस्टर, 02 उपस्थिति रजिस्टर अप्रेल से मार्च 2023 तक, 01 मुवमेन्ट रजिस्टर, 03 केश रजिस्टर है उक्त रिकार्ड को जरिये फर्द जब्ती जुदागाना वजह सबुत जब्त किया जाकर फर्द जब्ती पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त **समय 10:20 पीएम. पर** मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू द्वारा आरोपी श्री भोजराज सिंह की सहमति से स्विफ्ट गाडी नंबर आर जे 27 सीडी 3151 की दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष तलाशी ली गई। गाडी में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली ना ही काई वस्तु कब्जे ब्यूरो ली गई। गाडी की चाबी श्री भोजराज सिंह की सहमति से ट्रेप पार्टी सदस्यों को दी जाकर गाडी को हमराह लिया गया। इसके पश्चात् समय करीब 10:30 पीएम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहन एवं श्रीमति आशा कुमारी एवं श्रीमती प्रमिला महिला कानि0 एंव सुश्री हिमानी तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री भोजराज सिंह मय जब्तशुदा सीलचीटबंद धोवण की शीशीयां, रिश्वत राशि 16000 रूपये सिलचिटशुदा, एवं वजह सबुत जब्त रिकार्ड, जब्तशुदा सीलचिटशुदा पेन्ट का पैकेट इत्यादी समस्त आर्टिकल हमराह ले जरिये सरकारी वाहन टवेरा व बोलेरो एवं आरोपी श्री भोजराज सिंह की स्विफ्ट गाडी के मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप

बॉक्स व डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर के चाईल्ड लाईन कार्यालय पुराना अस्पताल से रवाना होकर श्री कैलाश सत्यार्थी संस्थान, समता नगर चित्तौडगढ के लिये रवाना हुआ। तत्पश्चात् समय करीब 10:40 पीएम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा समता नगर चित्तौडगढ स्थित श्री कैलाश सत्यार्थी संस्थान के कार्यालय पहुच कार्यालय का निरीक्षण किया गया एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो चाईल्ड हेल्प लाईन से संबंधित रिकार्ड इस कार्यालय में नहीं मिले। श्री भोजराज सिंह ने बताया कि उक्त भवन दो मंजिला होकर कैलाश सत्यार्थी संस्थान का कार्यालय चलता है, उक्त भवन मेरे द्वारा किराये पर ले रखा है, तथा पूर्व में इसमे बालिका ओपन शेल्टर होम भी चालु था जो वर्तमान में बंद हैं। इस कार्यालय के नीचे के परिसर में एक कमरा स्थित है जिसमें मै चित्तौडगढ प्रवास के दौरान ठहरता हुं। इसके बाद समय करीब 10:50 पीएम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष श्री भोजराज सिंह के कमरे की नियमानुसार खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त समय करीब 11:10 पीएम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहन एवं श्रीमति आशा कुमारी एवं श्रीमती प्रमिला महिला कानि0 एंव सुश्री हिमानी तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री भोजराज सिंह मय जब्तशुदा सीलचीटबंद धोवण की शीशीयां, रिश्वत राशि 16000 रूपये सिलचिटशुदा, एवं वजह सबुत जब्त रिकार्ड, जब्तशुदा सीलचिटशुदा पेन्ट का पैकेट इत्यादी समस्त आर्टिकल हमराह ले जरिये सरकारी वाहन टवेरा व बोलेरो एवं आरोपी श्री भोजराज सिंह की स्विफ्ट गाडी के मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर के श्री कैलाश सत्यार्थी संस्थान, समता नगर चित्तौडगढ से एसीबी कार्यालय चित्तौडगढ के लिये रवाना हुआ। इसके पश्चात् समय 11:25 पीएम. पर उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान के मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री भोजराज सिंह मय जब्तशुदा सीलचीटबंद धोवण की शीशीयां, रिश्वत राशि 16000 रूपये सिलचिटशुदा, एवं वजह सबुत जब्त रिकार्ड, जब्तशुदा सीलचिटशुदा पेन्ट का पैकेट इत्यादी समस्त आर्टिकल हमराह ले जरिये सरकारी वाहन टवेरा व बोलेरो एवं आरोपी श्री भोजराज सिंह की स्विफ्ट गाडी नम्बर आर.जे. 27 सी.डी. 3151 मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर के उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये, जब्तशुदा सीलचीटबंद धोवण की शीशीयां, रिश्वत राशि 16000 रूपये सिलचिटशुदा, जब्तशुदा सीलचिटशुदा पेन्ट का पैकेट इत्यादी समस्त आर्टिकल को सुरक्षित मालखान प्रभारी श्री श्यामलाल हैड कानि 105 से मालखाने में रखवाया गया। समय रात्रि का होने से सुश्री हिमानी को रूखसत करते हुये कल सुबह दिनांक 10.05.2023 को समय 10:00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय चित्तोडगढ उपस्थित होने की हिदायत मुनासिब की गई। आरोपी श्री भोजराज सिंह निदेशक की स्विफ्ट गाडी नम्बर आर.जे. 27 सी.डी. 3151 को सुरक्षार्थ ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के अहाते में खडी की गई तथा उक्त गाडी की चाबी को एहतियान कार्यालय में सुरक्षित रखा गया ।

इसके पश्चात् समय करीब 11:35 पीएम. पर परिवादी को रिश्वत राशि लेन–देन हेतु जाने से पूर्व दिनांक 09.05.2023 को परिवादी श्री गोपाल चावला के मोबाईल नम्बर 9252559204 एवं हिमानी के मोबाईल नम्बर 8239111877 पर समय 07:09 पीएम पर वार्ता हुई थी जो वार्ता सरकारी डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मे रिकार्ड है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईल सरकारी डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर से लेपटॉप में सेव की जाकर वार्ता को शब्द–ब–शब्द सुनी जाकर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री मान सिंह कानि0 से परिवादी, दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष तैयार करवाई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । उक्त वार्ता के संबंध में परिवादी श्री गोपाल चावला ने बताया था कि उक्त वार्ता में एक आवाज मेरी स्वयं की है तथा दूसरी आवाज हिमानी की है । तत्पश्चात् समय करीब 11:50 पीएम. पर परिवादी को रिश्वत राशि लेन–देन हेतु जाने से पूर्व दिनांक 09.05.2023 को परिवादी श्री गोपाल चावला के मोबाईल नम्बर 9252559204 पर हिमानी के मोबाईल नम्बर 8239111877 से समय 07:10 पीएम पर वार्ता हुई थी जो वार्ता सरकारी डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मे रिकार्ड है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईल सरकारी डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर से लेपटॉप में सेव की जाकर वार्ता को शब्द–ब–शब्द सुनी जाकर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री मान सिंह कानि0 से परिवादी, दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष तैयार करवाई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । उक्त वार्ता के संबंध में परिवादी श्री गोपाल चावला ने बताया था कि उक्त वार्ता में एक आवाज मेरी स्वयं की है

तथा दूसरी आवाज हिमानी की है । इसके पश्चात् समय 11:59 पीएम. पर परिवादी एवं आरोपी श्री भोजराज सिंह निदेशक के मध्य रिश्वत राशि लेन–देन के वक्त हुई आमने–सामने वार्ता जो वार्ता सरकारी डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मे रिकार्ड है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईल सरकारी डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर से लेपटॉप में सेव की जाकर वार्ता को शब्द–ब–शब्द सुनी जाकर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री मान सिंह कानि0 से परिवादी, दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष तैयार करवाई जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के संबंध में परिवादी श्री गोपाल चावला ने बताया था कि उक्त वार्ता में एक आवाज मेरी स्वयं की है तथा दूसरी आवाज श्री भोजराज सिंह निदेशक की है ।

दिनांक 10.05.2023 को समय करीब 12:50 ए.एम. पर कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिश्वत राशि मांग सत्यापन, रिश्वत राशि लेन–देन एवं परिवादी की सहकर्मी से सेम्पल हेतु कराई गई वार्तायें रिकार्ड है। उक्त वार्ताओ की सीडीयां तैयार की जानी है। अतः रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 05.05.2023 को परिवादी श्री गोपाल चावला के मोबाईल नम्बर 9252559204 से आरोपी श्री भोजराज सिंह के मोबाईल नम्बर 9828242855 पर हुई वार्ता, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 05.05.2023 को परिवादी श्री गोपाल चावला एवं आरोपी श्री भोजराज सिंह के मध्य आमने–सामने हुई वार्ता, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 08.05.2023 को परिवादी श्री गोपाल चावला के मोबाईल नम्बर 9252559204 एवं हिमानी के मोबाईल नम्बर 8239111877 पर हुई वार्ता, दिनांक 08.05.2023 को श्री आसरा विकास संस्थान में किये जा रहे भ्रष्टाचार की पुष्ठि हेतु सैम्पल के रूप में परिवादी श्री गोपाल चावला की सहकर्मी रूचिका शर्मा के मोबाईल नम्बर 8905669030 पर परिवादी श्री गोपाल चावला के मोबाईल नम्बर 9252559204 से करवाई गई वार्ता, दिनांक 08.05.2023 को श्री आसरा विकास संस्थान में किये जा रहे भ्रष्टाचार की पुष्ठि हेतु सैम्पल के रूप में परिवादी श्री गोपाल चावला की सहकर्मी सुमित्रा शर्मा के मोबाईल नम्बर 9413512155 पर परिवादी श्री गोपाल चावला के मोबाईल नम्बर 9252559204 से करवाई गई वार्ता, दिनांक 09.05.2023 को परिवादी श्री गोपाल चावला के मोबाईल नम्बर 9252559204 एवं हिमानी के मोबाईल नम्बर 8239111877 पर समय 07:09 पीएम पर हुई वार्ता, दिनांक 09.05.2023 को परिवादी श्री गोपाल चावला के मोबाईल नम्बर 9252559204 पर हिमानी के मोबाईल नम्बर 8239111877 से समय 07:10 पीएम पर हुई वार्ता, दिनांक 09.05.2023 को आरोपी श्री भोजराज सिंह निदेशक के मध्य रिश्वत राशि लेन–देन के वक्त हुई वार्ता कुल 08 वार्ताओ को स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी की उपस्थिति में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कानि0, श्री जितेन्द्र सिंह से डिजीटल वॉईस टेप रिकार्डर को कम्प्युटर से कनेक्ट कर वार्ता के अनुसार पृथक–पृथक फोल्डर बना 04 सीडीयां तैयार की गई, एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु, एक सी0डी0 आरोपी हेतु व एक सीडी नमुना आवाज हेतु तैयार कर उपरोक्त तीनो सीडीयों पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर सीडीयों को पृथक–पृथक प्लास्टिक के कवर मे रखकर पृथक–पृथक कपडे की सफेद थैली में रखकर सीलचीट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार की गई सी0डी0 को खुली रखी गई। 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार कर शामिल फाईल किया गया । ततपश्चात् समय करीब 01:20 एएम. पर कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में दौराने ट्रेप कार्यवाही प्रयुक्त मुल मेमोरी कार्ड 08 जीबी MORMAX कम्पनी का बरंग काला जिसमें कार्यवाहीं की सम्पुर्ण वार्तायें सेव है को खाकी कलर के लिफाफे में रखकर एक सफेद कपडे की थैली मे सीलचीट कर मार्क ''एम'' अंकित कर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 02.35 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री भोजराज सिंह निदेशक, श्री आसरा विकास संस्थान उदयपुर, शाखा चित्तौडगढ को श्री सुरजमल कानि0 नम्बर 247 एवं श्री जयराम कानि0 चालक के हमराह के आरोपी को पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ की हवालात मे दाखिल करवाने हेतु जरिये तहरीर दी जाकर रवाना किया गया। इसके उपरान्त समय 02.50 ए.एम. पर श्री सुरजमल कानि0 नम्बर 247 एवं श्री जयराम कानि0 चालक आरोपी श्री भोजराज सिंह निदेशक, श्री आसरा विकास संस्थान उदयपुर, शाखा चित्तौडगढ को पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ की हवालात मे दाखिल करा हाजिर आये। तदोपरान्त समय करीब 09.15 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री भोजराज सिंह निदेशक, श्री आसरा विकास संस्थान उदयपुर, शाखा चित्तौडगढ को श्री सुरजमल कानि0 नम्बर 247 एवं श्री जयराम कानि0 चालक के हमराह के आरोपी को पुलिस

थाना कोतवाली चित्तौडगढ की हवालात से लाने हेतु रवाना किया गया। इसके उपरान्त समय 09.30 ए.एम. पर गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री भोजराज सिंह निदेशक, श्री आसरा विकास संस्थान उदयपुर, शाखा चित्तौडगढ को श्री सुरजमल कानि0 नम्बर 247 एवं श्री जयराम कानि0 चालक पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ की हवालात से हमरा लेकर हाजिर आया जिस पर आरोपी श्री भोजराज सिंह को श्री सुरजमल कानि0 की निगरानी में बैठाया गया । तत्पश्चात् समय करीब 09:50 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को हमराह लेकर जरिये सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री शेर सिंह नम्बर 296 के वास्ते घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार करने हेतु ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से रवाना हुआ तथा आरोपी श्री भोजराज सिंह पदमपुरा को श्री सुरजमल कानि0 की निगरानी में बैठाया गया । इसके पश्चात् समय करीब 10:00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा घटनास्थल पर पहूंचा जहां पर घटनास्थल का निरीक्षण कर परिवादी श्री गोपाल चावला की निशांदेही से नक्शा मौका तैयार किया जाकर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल अलग से मूर्तिब किया गया, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली किया गया । इसके पश्चात् समय करीब 10:30 ए.एम. पर बाद घटनास्थल का नक्शा मौका की फर्द तैयार कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को हमराह लेकर जरिये सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री शेर सिंह नम्बर 296 के ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के लिये रवाना होकर समय करीब 10:35 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को हमराह लेकर जरिये सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री शेर सिंह नम्बर 296 के ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर पहूंचा । अग्रिम लिखापढी प्रारम्भ की गई । इसके उपरान्त समय 12.30 पी.एम. पर आरोपी श्री भोजराज सिंह निदेशक, श्री आसरा विकास संस्थान उदयपुर, शाखा चित्तौडगढ को अपनी आवाज का नमूना परीक्षण हेतु देने के सम्बन्ध मे ब्यूरो कार्यालय के पत्र कमांक 794 दिनांक 10.05.2023 द्वारा तहरीर दी गई जिस पर आरोपी द्वारा मूल तहरीर पर ही नमूना आवाज नही देने बाबत् लिखित मे दिया गया जिसे बाद अवलोकन शामील कार्यवाही किया गया । तत्पश्चात् समय 12.35 पी.एम. पर आरोपी श्री भोजराज सिंह निदेशक, श्री आसरा विकास संस्थान उदयपुर, शाखा चित्तौडगढ की स्विफ्ट गाडी नम्बर आर.जे. 27 सी.डी. 3151 को आरोपी के कहे अनुसार उनके मित्र श्री महेन्द्र सिंह मेडतिया एडवोकेट, निवासी तेजाजी चौकी चित्तौडगढ को मय चाबी के लौटाई गई । इसके उपरान्त समय करीब 03.20 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह द्वारा उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित आरोपी श्री भोजराज सिंह निदेशक, श्री आसरा विकास संस्थान उदयपुर, शाखा चित्तौडगढ को माननीय एसीबी न्यायालय उदयपुर में पेश करने हेतु श्री दया लाल चौहान पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ को निर्देशित किया कि आरोपी का 01 योम पी.सी. रिमाण्ड प्राप्त करें । उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित मूल पत्रावली मय रिमाण्ड शीट मय आरोपी को अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री दया लाल चौहान पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर समय 03.30. पी.एम. पर पुलिस निरीक्षक, आरोपी श्री भोजराज सिंह निदेशक, श्री आसरा विकास संस्थान उदयपुर, शाखा चित्तौडगढ व ब्यूरो जाप्ता श्री सुनिल कुमार कानि0 एवं श्री मान सिंह कानि0 मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री शेर सिंह कानि0 चालक के ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से आरोपी को नियमानुसार श्रीमान् विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर में पेश करने हेतु मय मूल पत्रावली के रवाना किया गया ।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री भोजराज सिंह निदेशक, श्री आसरा विकास संस्थान उदयपुर, शाखा चित्तौडगढ, चाईल्ड हैल्पलाईन नम्बर 1098 द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य परिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री गोपाल चावला से उसे उसकी 03 महिने की सैलेरी का 24000 रूपये का चेक देने की एवज में पूर्व के दो महिने की सैलेरी 16000 रूपये का चेक परिवादी के खाते में डलवाने के उपरान्त उसके खाते से 16000 रूपये निकलवाकर नकद प्राप्त करने हेतु रिश्वत के रूप में 16000 रूपये की मांग की गई जिसकी पुष्ठि हिमानी द्वारा दौराने सत्यापन वार्ता की गई थी से होती है ।

इसके उपरान्त दिनांक 09.05.2023 को परिवादी श्री गोपाल चावला के ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने के उपरान्त नियमानुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी श्री भोजराज सिंह निदेशक, श्री आसरा विकास संस्थान उदयपुर, शाखा चित्तौडगढ, चाईल्ड हैल्पलाईन नम्बर 1098 को एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य परिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री गोपाल चावला से उसके द्वारा चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098 मे किये गये कार्य के तीन माह 10/2022, 11/2022, 12/2022 की सेलेरी का चैक देने की ऐवज में माह अगस्त 2022 एवं 15 सितम्बर 2022 के 12000 फर्जी हाजरी बताकर एवं 16 सितम्बर से 30 सितम्बर तक किये गये कार्य की सेलेरी 4000 रूपये सहीत 16000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना तथा सेलेरी प्राप्ति पर एडवांस हस्ताक्षर करवाकर अगस्त व सितम्बर माह की सेलेरी परिवादी के अकाउण्ट मे डालकर दिनांक 09.05.2023 को 16000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करते हुये आरोपी श्री भोजराज सिंह को रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया तथा रिश्वत राशि 16000 आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब से दोनो गवाहान के समक्ष नियमानुसार बरामद किये जाने से प्रथम दृष्टया आरोपी श्री भोजराज सिंह निदेशक, श्री आसरा विकास संस्थान उदयपुर, शाखा चित्तौडगढ, चाईल्ड हैल्पलाईन नम्बर 1098 के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 13 (1) (ए) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 193, 409 आई.पी.सी. का अपराध कारित करना प्रमाणित पाया गया है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री भोजराज सिंह निदेशक, श्री आसरा विकास संस्थान उदयपुर, शाखा चित्तौडगढ, चाईल्ड हैल्पलाईन नम्बर 1098 के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 13 (1) (ए) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 193, 409 आई.पी.सी. के तहत दण्डनीय अपराध होने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय प्रेषित है।

भवदीय,

(कैलाश सिंह सांदू)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
चित्तौडगढ

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कैलाश सिंह सान्दू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 13(1) (ए) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 477ए, 409 भादंसं में आरोपी श्री भोजराज सिंह पुत्र श्री दलपत सिंह, निवासी मकान नम्बर 19बी, पार्श्वनाथ विहार बिलीया तीतरडी, पुलिस थाना सविना जिला उदयपुर हाल निदेशक, श्री आसरा विकास संस्थान, उदयपुर, शाखा चित्तौड़गढ़ चाईल्ड हैल्पलाईन नम्बर 1098 के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 115/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

11/5/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 865-68 दिनांक 11.5.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, जिला उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।

11/5/23

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।